AD (sys) 2/6/16

सं. 947/आ०वि०/2016
2-6-2016

संख्या–MS-35 / 8–3–16–36विविध / 16

प्रेषक,

पनधारी यादव,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1 **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2 **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3 **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र, विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

4 **नियत प्राधिकारी,**
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊः दिनांकः** 2 ~~मई~~ जून, 2016

विषयःप्रदेश में Ease of Doing Business के दृष्टिगत डी0आई0पी0पी0 भारत सरकार द्वारा की गयी अपेक्षाओं के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि प्रदेश में Ease of Doing Business के दृष्टिगत डी0आई0पी0पी0 भारत सरकार द्वारा की गयी अपेक्षाओं (आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सम्बंधित) को पूर्ण करने हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 09.05.2016 को आयोजित बैठक में कई अन्य अपेक्षाओं सहित निम्न अपेक्षाओं को पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैः–

(1) Mandate conducting a single joint sit inspection by various government authorities responsible for granting construction permits.

(2) Make the Zonal Plans online for easy information availability to assist applicants in developing building plans.

(3) Allow third parties to easily verify approval certificate in the public domain for building plan approval.

2– भारत सरकार द्वारा की गयी उपरोक्त अपेक्षाओं के सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बंध में बिन्दुवार निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें:–

(i) Mandate conducting a single joint sit inspection by various government authorities responsible for granting construction permits. के बिन्दु पर किन्हीं आवेदक द्वारा प्राधिकरण / परिषद में प्रस्तुत मानचित्र को स्वीकृति प्रदान करने की प्रक्रिया में प्राधिकरण / परिषद के कार्मिकों द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जाता है। इसी प्रक्रिया में अन्य विभागों, जिनसे प्राधिकरण द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाता है, द्वारा भी स्थलीय निरीक्षण किया जाता है। इस व्यवस्था को जनहित में सरल करते हुये यह निर्देशित किया जाता है कि मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया में

अन्य सम्बंधित विभागों से समन्वय करते हुये यह सुनिश्चित किया जाये कि समस्त सम्बंधित विभाग द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया जाय तथा इसकी सूचना आवेदक को भी दी जाय।

(ii) Make the Zonal Plans online for easy information availability to assist applicants in developing building plans. से सम्बंधित बिन्दु पर प्रदेश के समस्त मास्टर प्लान्स एवं जोनल प्लान्स को समस्त विकास प्राधिकरण तथा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 द्वारा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग एवं आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश की वेबसाईट पर 'अपलोड' कराया जाये।

(iii) Allow third parties to easily verify approval certificate in the public domain for building plan approval. के सम्बंध में यह सुनिश्चित किया जाये कि प्राधिकरण/परिषद द्वारा स्वीकृत किये जा रहे ले-आउट प्लान्स तथा प्राधिकरण/परिषद एवं निजी विकासकर्ता द्वारा आवासीय (ग्रुप हाउसिंग सहित), औद्योगिक एवं व्यावसायिक योजनाओं के स्वीकृत मानचित्रों को प्राधिकरण/परिषद की वेबसाईट पर जनसामान्य हेतु अपलोड कराया जाये।

उपरोक्त आदेशों का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नकः-यथोपरि।

भवदीय,

(पनधारी यादव)
सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
2- निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराते हुये, शासन की प्रतियां समस्त सम्बंधित को प्रेषित करने का कष्ट करें।
3- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश।
4- अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, उत्तर प्रदेश।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव जनम चौधरी)
संयुक्त सचिव